अनुबंध a

मुख्य तथ्य विवरण

तारीख: **रेगुलेटेड एंटिटी का नाम** DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड **लोन एप्लीकेशन अकाउंट नंबर:**

आवेदक का नाम:
सह आवेदक का नाम 1
सह आवेदक का नाम 2

क्रमांक I	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	लोन का प्रकार और उद्देश्य लोन का इस्तेमाल सिर्फ़ इस Key Facts Statement में बताए गए मकसद के लिए किया जाएगा और खास तौर पर इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा: (a) कैपिटल मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ शामिल हैं; या (b) किसी भी रूप में सोना खरीदना, जिसमें प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की यूनिट और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं; या (c) कोई भी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट या स्पेक्युलेटिव मकसद; या (d) किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो गैर-कानूनी है या कानून द्वारा मना है या जिसके लिए लोन फंड का इस्तेमाल कानून द्वारा रोका गया है।	इक्विपमेंट / सिस्टम की खरीद / अधिग्रहण के लिए सिक्योर्ड इक्विपमेंट लोन, जैसा कि नीचे बताया गया है
2 (ए)	सुरक्षा का प्रकार	, (i) इक्विपमेंट/सिस्टम (ii) बॉरोअर का बैंक अकाउंट और/या बॉरोअर द्वारा मेंटेन किया गया फिक्स्ड डिपॉजिट (जैसा भी लागू हो) के हाइपोथेकेशन के ज़रिए।
(बी)	उपकरण / प्रणाली का विवरण	जैसा कि इस मुख्य तथ्य विवरण के परिशिष्ट A में विस्तार से बताया गया है
3	स्वीकृत सुविधा (जैसा लागू हो)	
4	स्वीकृत ऋण (जैसा लागू हो)	
5	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
6	लोन की अवधि (साल/महीने/दिन)	[●] महीने
7	किस्त विवरण	
ए	किस्त का प्रकार	महीने के
बी	ईपीआई की संख्या	
सी	ईपीआई राशि	
डी	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
8	इंटरेस्ट रेट % और टाइप (घटते बैलेंस पर फिक्स्ड)	% प्रतिवर्ष
9	लोन की पूरी अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज (रुपये में)	
10	**फीस/चार्ज** , (अगर कोई हो) (हर हिस्से का ब्योरा नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रोसेसिंग फीस (GST सहित), अगर कोई हो (रुपये में) एक बार	
बी	कोलैटरल इंश्योरेंस (GST सहित) (रुपये में) (एक बार) (तीसरे पक्ष को देय)	

सी	इंश्योरेंस (GST सहित) (रुपये में) (एक बार) (तीसरे पक्ष को देना होगा)	
डी	कोई भी अन्य शुल्क (GST सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) एक बार	
11	कुल वितरित राशि (रुपये में)	
12	कर्जदार को चुकानी होगी कुल रकम (रुपये में)	
13	वार्षिक प्रतिशत दर (APR) %	%
14	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश
15	स्वीकृत सुविधा का विकल्प चुना	
	मैन्युफैक्चरर की जानकारी (अगर लागू हो)	
16	व्यापारी / EPC विवरण	
17	मर्चेंट / EPC बैंक अकाउंट की जानकारी	
18	मशीनरी का नाम	
19	मशीनरी मूल्य	
20	स्वीकृत सुविधा उपलब्धता अवधि	
कंटिंजेंट चार्ज के बारे में जानकारी (₹ या % में, जैसा लागू हो) *		
21	**लेट पेमेंट फीस - INR 550 + GST**	
22	**प्री-क्लोजर चार्ज:**	
23	**अतिदेय शुल्क –** ***EPI का उसकी नियत तिथि पर भुगतान न करना***	
24	**अन्य शुल्क: वैकल्पिक तरीकों/नॉन-नच के लिए लागू - 30 रुपये तक + जीएसटी**	
25	**NACH रिजेक्शन चार्ज – INR 500 +GST**	
26	**डिजिटल लोन के मामले में, ये खास बातें बताई जा सकती हैं:**	
(ए)	DMI की बोर्ड से मंज़ूर पॉलिसी के हिसाब से कूलिंग ऑफ़/लुक-अप पीरियड, जिसके दौरान लोन के प्रीपेमेंट पर लोन लेने वाले से कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।	**5 दिन**
(बी)	रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले और कर्जदार से संपर्क करने के लिए अधिकृत LSP की जानकारी	**[•]**
(सी)	LSP/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम जो रिकवरी के अलावा लोन से जुड़ी दूसरी सर्विस देता है (जैसे सोर्सिंग, मार्केटिंग वगैरह)	**[•]**
27	लोन एग्रीमेंट का क्लॉज़/ रिकवरी एजेंट रखने से जुड़ी आम शर्तें	**खंड 12.5**
28	लोन एग्रीमेंट का क्लॉज़/ आम नियम और शर्तें जिसमें शिकायत सुलझाने के तरीके की जानकारी हो	**धारा 16**
29	क्या लोन दूसरे REs को ट्रांसफर किया जा सकता है, या भविष्य में किया जा सकता है या सिक्योरिटाइज़ेशन किया जा सकता है - (हाँ/नहीं)	**हाँ**
30	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	

31	**फिन-टेक/डिजिटल लेंडिंग से निपटने के लिए खास तौर पर नोडल शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया** **संबंधित शिकायतें/मुद्दे –** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - कस्टमर सक्सेस ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievance@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, 9-10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 https://www.dmifinance.in/fair-practice.html

* *कंपनी की पॉलिसी के आधार पर कंटिंजेंट चार्ज बदले जा सकते हैं*

अगर लोन की अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, कुल दिया गया अमाउंट, और कुल देय अमाउंट इस KFS के मंज़ूरी/जारी होने की तारीख के बाद का है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इससे APR भी बढ़ सकता है, लेकिन APR DMI की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से तय होगा। अपडेटेड KFS जारी किया जाएगा और वेलकम लेटर के साथ बॉरोअर के साथ शेयर किया जाएगा। अगर ऐसे किसी भी बदलाव से DMI की इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइन्स का उल्लंघन होता है, तो DMI के पास लोन मंज़ूरी को कैंसल करने का भी अधिकार है।

डिस्बर्समेंट डिटेल्स (जिस अकाउंट में डिस्बर्समेंट किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	
खाता धारक का नाम		**आईएफएससी कोड**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

रिस्क के लेवल के लिए DMI का तरीका और अलग-अलग कैटेगरी के बॉरोअर्स से अलग-अलग इंटरेस्ट रेट लेने का कारण समझने के लिए, कृपया https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध DMI की इंटरेस्ट रेट और चार्ज पर पॉलिसी देखें।

स्वीकृति:

मैं ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य कथन की प्राप्ति की पुष्टि करता हूँ और अपनी स्वीकृति की पुष्टि करता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा दिया गया स्वीकृत ऋण, ऋण के सामान्य नियमों और शर्तों, इस मुख्य तथ्य कथन, ऋण आवेदन, सुरक्षा दस्तावेजों सहित अनुलग्नकों और मेरे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में आवश्यक किसी भी दस्तावेज द्वारा नियंत्रित होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज")।

मैं फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों से कानूनी तौर पर बंधा हुआ हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी मंज़ूरी का मतलब होगा: (i) फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताए गए सभी नियमों और शर्तों को बिना किसी बदलाव के मानने और उनसे बिना किसी शर्त के बंधे रहने की मेरी मंज़ूरी; और (ii) बॉरोअर का यह मानना और कन्फर्मेशन कि यह की फैक्ट स्टेटमेंट (दूसरे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ) मैंने अपनी भाषा में या मेरे/हमारे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ठीक से पढ़ा और पूरी तरह से समझा है।

मैं यह भी बताता/बताती हूँ कि मैं सैंक्शन्ड लोन का इस्तेमाल इस की फैक्ट स्टेटमेंट में बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं करूँगा/करूँगी और खास तौर पर इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए नहीं करूँगा/करूँगी: (a) कैपिटल मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ शामिल हैं; या (b) किसी भी रूप में सोना खरीदना, जिसमें प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की यूनिट और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं; या (c) कोई भी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट या स्पेक्युलेटिव मकसद; या (d) किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो गैर-कानूनी है या कानून द्वारा मना है या जिसके लिए लोन फंड का इस्तेमाल कानून द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है।

उपभवन बी

गणना का अप्रैल ऋण के लिए

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपये) (धारावाहिक नहीं। 4 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (सीरियल नं.6 केएफएस टेम्पलेट का – अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का EPI (उधारकर्ता की चुकौती आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक एपि (में रुपये) और संख्या का ईपीआई (उदाहरणार्थ, नहीं। का ईपीआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 6ए, 6बी, 6सी का केएफएस – अनुबंध a)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक संवितरण (धारावाहिक नहीं। KFS टेम्पलेट का 7D – अनुलग्नक A)	दिनांक/माह/वर्ष
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 8 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	घटते बैलेंस के आधार पर तय
4	दर का रुचि (धारावाहिक नंबर 8 केएफएस खाका – अनुबंध a)	15 % पीए
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा मंज़ूरी की तारीख पर लागू ब्याज दर के हिसाब से लोन की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 9 का केएफएस खाका – अनुबंध a)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपये)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 10ए, 10बी और 10 सी केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के ज़रिए थर्ड-पार्टी को पेमेंट किया जाएगा	0
7	जाल वितरित राशि (सीरियल नंबर 4- सीरियल नंबर 10) (में रुपये)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (सीरियल का योग नंबर 4 और सीरियल नंबर 9) (रुपये में)	23,274
9	एनुअल परसेंटेज रेट- इफेक्टिव एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट (परसेंटेज में) (केएफएस टेम्पलेट का सीरियल नंबर 13-अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	100% अग्रिम
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 5 तारीख को

- डिटेल्ड रीपेमेंट शेड्यूल के तहत दी गई किश्तों के टोटल से कैलकुलेट की गई रीपेमेंट रकम और ऊपर बताई गई रकम में जो अंतर (अगर कोई हो) है, वह डिटेल्ड रीपेमेंट शेड्यूल और अमॉर्टाइज़ेशन मॉडल के तहत किश्त की रकम को राउंड ऑफ़ करने की वजह से हो सकता है।
- APR की गणना IRR अप्रोच और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके नेट डिस्बर्स्ड अमाउंट पर की जाती है।
- इस लोन सुविधा पर लगने वाले चार्ज और डिडक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में बताए गए हैं और मुझे ठीक से समझा दिए गए हैं।

उपभवन सी

वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए ऋण

किस्त संख्या	प्रारंभिक असाधारण प्रधानाचार्य शेष (में रुपये)	प्रधानाचार्य (रुपये में)	दिलचस्पी (रुपये में)	टूटी हुई अवधि ब्याज	किस्त (रुपये में)	समापन असाधारण प्रधानाचार्य शेष (में रुपये)

सामान्य नियम और शर्तें

मैंने/हमने DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड , जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सप्रेस बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, 9-10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002 में है, द्वारा मुझे/हमें दिए गए लोन के संबंध में ये सामान्य नियम और शर्तें (" **T& C")** **स्वीकार कर ली हैं (" DMI "/" लेंडर** ") जिसका मतलब है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल हैं, DMI द्वारा इन T&C को स्वीकार करने के लिए भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (" **OTP** ") को डालकर और ये मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होंगे। इस T&C की एक अनुवादित कॉपी संबंधित स्थानीय भाषा में DMI की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मांगने पर मुझे/हमें भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस T&C और लोन एप्लीकेशन में शामिल नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं :

(a) " **बॉरोअर** " का मतलब है की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई बॉरोअर की डिटेल्स, जिसमें कोई भी कानूनी वारिस, ब्याज में उत्तराधिकारी और परमिटेड असाइनी (जैसा लागू हो) शामिल होंगे। आसानी से समझने के लिए, को-बॉरोअर्स को, यहां एक साथ 'बॉरोअर' भी कहा जाएगा।

(b) " **व्यावसायिक दिवस** " का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन दिल्ली में बैंक कार्य के लिए खुले रहते हैं और इसमें ऐसे स्थानों पर रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं हैं।

(c) " **उधारकर्ता की देयताएं** " से तात्पर्य स्वीकृत ऋण के लिए उधारकर्ता द्वारा डी.एम.आई. को देय सभी रकम से है, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि, ब्याज और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार इसके संबंध में देय कोई अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं।

(d) " **बाउंस शुल्क** " से तात्पर्य किसी भी स्थायी निर्देश सहित चेक या किसी मैंडेट (यदि मैंडेट पंजीकृत है) के अनादर के कारण भुगतान में विफलता के मामले में उधारकर्ता द्वारा देय मैंडेट अनादर या बाउंसिंग शुल्क से है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए;

(e) " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य किसी भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जिसमें बिना किसी सीमा के, ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और एक्सपीरियन शामिल हैं।

(f) " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " से तात्पर्य संबंधित मुख्य तथ्य कथन में निर्दिष्ट अवधि से है, जो उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

(g) " **देय तिथि** " से तात्पर्य किसी भी उधारकर्ता के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में उस तिथि से है जिस दिन वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है ।

(h) " **डाउन पेमेंट** " का अर्थ धारा 2.2 में दिए गए शब्द के अनुसार होगा।

(i) " **उपकरण/ प्रणाली**" से तात्पर्य इस अनुबंध के अनुलग्नक ए के तहत विशेष रूप से वर्णित उपकरण/प्रणाली से है, जिसका अधिग्रहण/खरीद डीएमआई द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है ।

(j) " **ईपीआई** " से तात्पर्य पुनर्भुगतान की समान या निश्चित राशि से है, जिसमें मूलधन और ब्याज (यदि लागू हो) दोनों घटक शामिल होंगे, जिसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतराल पर या बकाया स्वीकृत ऋण के लिए एकल पुनर्भुगतान किस्त के रूप में किया जाएगा (प्रत्येक मामले में जैसा कि मुख्य तथ्य कथन में प्रदान किया गया है) ब्याज सहित (यदि लागू हो), जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन हो जाएगा।

(k) " **चूक की घटना(एँ)** " का अर्थ धारा 8 में दिया गया है।

(l) " **निर्माता** " उपकरण / सिस्टम (जैसा लागू हो सकता है) का निर्माता है जैसा कि मुख्य तथ्य कथन में उल्लिखित है।

(m) " **वित्तपोषण दस्तावेज** " से तात्पर्य इस टीएंडसी, स्वीकृति पत्र, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण, इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित किसी भी दस्तावेज से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो ।

(n) " **डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना** " का अर्थ नीचे धारा 8.1 में दिया गया है।

(o) **"ब्याज** " से तात्पर्य ऐसे स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर देय ब्याज, यदि कोई हो, प्रासंगिक मुख्य तथ्य कथन में प्रदान की गई दर और तरीके से है।

(p) " **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर, लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि आदि शामिल होता है।

(q) " **लेट पेमेंट पेनल्टी** " का मतलब है वह पेनल्टी अमाउंट, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है, जो बॉरोअर को EPI(s) / बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट में हर बार देरी होने पर देना होगा , अगर बॉरोअर के पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है ; " **लोन एप्लीकेशन** " का मतलब है वह एप्लीकेशन जो बॉरोअर ने DMI को सैंक्शन्ड लोन लेने के लिए तय फॉर्म में जमा किया है।

(r) " **मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट** " का मतलब है कोई भी ऐसी घटना जिसका (i) बॉरोअर की ड्यूज़ चुकाने की क्षमता पर; या (ii) फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI के अधिकारों और उपायों पर; या (iii) बॉरोअर के ड्यूज़ की रिकवरी पर बुरा असर पड़े। DMI का कोई भी फैसला कि किसी घटना को मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट माना जाना चाहिए या नहीं, बॉरोअर पर लागू होगा।

(s) " **अधिदेश** " का अभिप्राय इस अनुच्छेद के अंतर्गत धारा 4.1 में निर्दिष्ट है।

(t) " **व्यापारी / ईपीसी** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य कथन के तहत नामित व्यक्ति / संस्था से है।

(u) **"ओवरड्यू चार्ज" का मतलब है, संबंधित की फैक्ट स्टेटमेंट में बताए गए पेनल्टी चार्ज, जो उन सभी अमाउंट पर** देने होंगे **जो उनकी ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किए गए हैं। ओवरड्यू चार्ज को DMI** कैपिटलाइज़ नहीं करेगा **, यानी ऐसे ओवरड्यू चार्ज पर कोई और ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा।**

(v) **"प्री-क्लोज़र चार्ज"** का मतलब है DMI द्वारा लगाई जाने वाली फीस या चार्ज, जब बॉरोअर लोन की तय अवधि खत्म होने से पहले अपने कुल बकाया लोन अमाउंट का प्री-पेमेंट करना चुनता है, जैसा कि संबंधित Key Fact Statement में बताया गया है।

(w) **"पार्ट प्री-पेमेंट चार्ज"** का मतलब है DMI द्वारा लगाई जाने वाली फीस या चार्ज, जब बॉरोअर अपने बकाया प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा, उस प्रिंसिपल अमाउंट के ड्यू होने से पहले प्री-पे करने का ऑप्शन चुनता है, जैसा कि संबंधित की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है।

(x) " **गोपनीयता नीति** " का तात्पर्य डीएमआई की गोपनीयता नीति से है जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है।

(y) " **व्यक्ति** " जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया जाए, इसका अभिप्राय किसी भी व्यक्ति (उसके पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाई-बहन और भाई-बहन के पति/पत्नी सहित), निगम, साझेदारी, व्यक्तियों का संघ, संयुक्त उद्यम, समाज, कंपनी, ट्रस्ट या सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य कानूनी इकाई या साधन से है, जैसा कि संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है।

(z) " **उद्देश्य** " से तात्पर्य उस उद्देश्य से है जिसके लिए स्वीकृत ऋण स्वीकृत/प्रदान किया गया है, जो उपकरण/प्रणाली की खरीद के लिए होगा, जिसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है।

(aa) " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।

(bb) " **रिकवरी एजेंट** " से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष या ऋणदाता द्वारा नियुक्त एजेंट से है, जो डिफ़ॉल्ट की घटना घटित होने पर उपकरण/सिस्टम को वापस लेने में सहायता करता है।

(cc) " **प्रासंगिक प्राधिकरण** " से तात्पर्य समय-समय पर नियुक्त उपयुक्त प्राधिकरण से है , किसी भी उपकरण/सिस्टम के संबंध में करों या समान शुल्कों के संग्रह और/या शुल्कों के पंजीकरण/हाइपोथेकेशन के संबंध में पंजीकरण और/या उपयोग के लिए प्राधिकरण और/या परमिट/लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने और/या पंजीकरण के लिए जिम्मेदार या प्रभारी।

(dd) " **स्वीकृत ऋण** " से तात्पर्य उस राशि से है जिसे उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों और ऐसे स्वीकृत ऋण के लिए जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है।

(ee) " **सुरक्षा** " का अर्थ इस अनुबंध में निर्धारित किया गया है और जैसा कि मुख्य तथ्य कथन में विस्तृत रूप से बताया गया है।

1.2. **व्याख्या**

इस T&C में:

(a) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसका उल्टा भी); और

(b) संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे, जैसा लागू हो।

2. स्वीकृत ऋण का अनुदान और वितरण

2.1. लोन एप्लीकेशन समेत फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बॉरोअर की बताई गई बातों के आधार पर , DMI ने फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताई गई शर्तों पर बॉरोअर को सैंक्शन्ड लोन देने पर सहमति जताई है। DMI के पास ऐसी रिक्वेस्ट को मंज़ूरी देने या रिजेक्ट करने का पूरा और पूरा अधिकार होगा। अगर DMI ऐसी रिक्वेस्ट को मंज़ूरी देता है, तो उसे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स (जिसमें ऐसे सैंक्शन्ड लोन के बारे में जारी किया गया की फैक्ट स्टेटमेंट भी शामिल है) के अनुसार सैंक्शन्ड लोन के तौर पर दिया जाएगा।

2.2. बॉरोअर यह समझता है कि (i) सैंक्शन्ड लोन का डिस्बर्समेंट, DMI द्वारा बॉरोअर के वेरिफिकेशन और चेक के पूरा होने पर निर्भर है, जो उसके इंटरनल प्रोसेस के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए है और अगर ऐसा वेरिफिकेशन संतोषजनक नहीं है, तो DMI सैंक्शन्ड लोन को कैंसल करने का हकदार होगा ; (ii) सैंक्शन्ड लोन, अगर कैंसल नहीं किया जाता है, तो DMI द्वारा उसके इंटरनल प्रोसेस के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए वेरिफिकेशन और चेक के पूरा होने के बाद डिस्बर्स किया जाएगा। बॉरोअर यह समझता है कि बॉरोअर को दिया गया सैंक्शन्ड लोन DMI के इंटरनल क्राइटेरिया और पूरी तरह से विवेक के अनुसार है और इसे DMI किसी भी समय अपनी पूरी तरह से विवेक से कैंसल या रिवोक कर सकता है। किसी भी सैंक्शन्ड लोन के कैंसलेशन की जानकारी बॉरोअर को दी जाएगी।

2.3. बॉरोअर बिना किसी शर्त और बिना बदले सहमति देता है कि सैंक्शन्ड लोन, जब भी बॉरोअर रिक्वेस्ट करेगा या जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है, मर्चेंट /EPC के बैंक अकाउंट में डिस्बर्स किया जाएगा और ऐसा डिस्बर्समेंट बॉरोअर को किया गया माना जाएगा । प्रोसेसिंग फीस और कोई भी दूसरा चार्ज (जैसा कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है) मर्चेंट को डिस्बर्स किए गए सैंक्शन्ड लोन से काट लिया जाएगा ।

2.4. बॉरोअर को Key Fact Statement में बताए गए नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज देने होंगे, साथ ही उस पर लागू होने वाला Goods and Services Tax भी देना होगा, जिसे दिए गए Sanctioned Loan से रखा/काटा जा सकता है और इसे बॉरोअर को दिया गया माना जाएगा और इसलिए बॉरोअर पूरे Sanctioned Loan के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर बॉरोअर Cooling off Period के दौरान बाहर निकलने का ऑप्शन चुनता है, तो प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं की जाएगी।

2.5. बॉरोअर DMI के मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपने सैंक्शन्ड लोन, बकाया रकम की डिटेल्स देख सकते हैं और रीपेमेंट भी कर सकते हैं।

2.6. कर्जदार को कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान, बिना किसी पेनल्टी के, प्रिंसिपल और उसी हिसाब से APR चुकाकर दिए गए सैंक्शन्ड लोन से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा। कर्जदार जो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद भी सैंक्शन्ड लोन जारी रखता है, उसे DMI द्वारा की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई शर्तों और प्री-क्लोजर चार्ज/पार्ट प्री-पेमेंट चार्ज के तहत प्री-क्लोजर/पार्ट प्री-पेमेंट की इजाज़त होगी।

2.7. उधारकर्ता, मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार उपकरण/प्रणाली के खरीद मूल्य के कुछ भाग का भुगतान उधारकर्ता के स्वयं के निधियों (" **डाउन पेमेंट** ") से करेगा, जो ऋणदाता को स्वीकार्य होगा।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1. बॉरोअर, Key Fact Statement में दिए गए सैंक्शन्ड लोन के समय के दौरान हर ड्यू डेट पर EPI के ज़रिए बकाया सैंक्शन्ड लोन और उस पर ब्याज (अगर कोई हो) चुकाएगा। EPI की गणना DMI द्वारा तय समय के अंदर सैंक्शन्ड लोन और उस पर ब्याज (अगर कोई हो) चुकाने के लिए ज़रूरी के अनुसार की जाएगी और Key Fact Statement में दिए गए ज़्यादा से ज़्यादा EPI से ज़्यादा नहीं होगी। EPI सिर्फ़ सैंक्शन्ड लोन और उस पर ब्याज (अगर कोई हो) के बकाया मूलधन के लिए होगी और इसमें कोई पेनल्टी चार्ज/ओवरड्यू चार्ज/लेट पेमेंट पेनल्टी या बॉरोअर द्वारा फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दिए जाने वाले कोई अन्य चार्ज शामिल नहीं हैं। पहले EPI की रकम और तारीख, सैंक्शन्ड लोन के डिस्बर्समेंट की तारीख के आधार पर बदल सकती है और ऐसी बदली हुई तारीख और रकम के बारे में बॉरोअर को ऐसे पेमेंट की ड्यू डेट से पहले बता दिया जाएगा। बॉरोअर Key Fact Statement में दिए गए बाकी सभी बकाया रकम और चार्ज भी देगा। DMI के प्रति बॉरोअर की लायबिलिटी तभी खत्म होगी जब लोन अकाउंट में बकाया और सभी चार्ज (की फैक्ट्स स्टेटमेंट के अनुसार) ज़ीरो हो जाएंगे ।

3.2. किसी भी हालत में, अगर किसी भी वजह से लोन का समय ओरिजिनल समय से आगे बढ़ाया जाता है, तो बॉरोअर को मंज़ूर लोन का बकाया प्रिंसिपल अमाउंट, ओवरड्यू चार्ज, बाउंस चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और ऐसे दूसरे ब्याज/चार्ज देने होंगे, जो की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताए गए हैं।

3.3. हर EPI का समय पर पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी हिस्सा है। बॉरोअर यह मानता है कि उसने EPI कैलकुलेट करने का तरीका समझ लिया है और वह इस पर कोई विवाद नहीं करेगा।

3.4. अगर बॉरोअर के पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है और बॉरोअर किसी भी EPI को उसकी ड्यू डेट पर पे करने में फेल रहता है/देरी करता है, तो बॉरोअर को EPI पे करने में ऐसी फेलियर/देरी पर लेट पेमेंट पेनल्टी देनी होगी, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है। लेट पेमेंट पेनल्टी रोकने वाली होती है और इसका मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है और इसे कैपिटलाइज़ नहीं किया जाएगा या किसी अलग सर्विस या सुविधा के लिए कंसीडरेशन के तौर पर नहीं माना जाएगा।

3.5. **अगर किसी EPI का पेमेंट उसकी ड्यू डेट पर नहीं किया जाता है, तो बॉरोअर को देरी के समय के लिए ओवरड्यू चार्ज देना होगा, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है। ऊपर बताई गई बातें DMI के किसी भी दूसरे अधिकार और उपायों पर कोई असर नहीं डालती हैं, जो इस एग्रीमेंट के तहत या लागू कानून के तहत बॉरोअर द्वारा ड्यू डेट पर बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के संबंध में हो सकते हैं।**

3.6. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, EPI समेत सभी बॉरोअर ड्यूज़, बॉरोअर को DMI को तब देने होंगे जब DMI मांगेगा, यह पूरी तरह से उसकी मर्ज़ी पर होगा और इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाएगा। बॉरोअर को ऐसी रकम, बिना किसी देरी या रुकावट के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर चुकानी होगी।

3.7. DMI को इंटरेस्ट रेट/किसी भी दूसरे चार्ज को बदलने का हक होगा और DMI बकाया सैंक्शन्ड लोन और इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए EPI/EPI की संख्या को फिर से कैलकुलेट कर सकता है। DMI द्वारा बॉरोअर को बताया गया कोई भी ऐसा बदलाव, आगे से लागू होगा और बॉरोअर पर आखिरी और बाइंडिंग होगा। ऐसे बदलाव के मामले में, बॉरोअर को ऐसे बदलाव के 30 (तीस) दिनों के अंदर, बिना किसी प्रीपेमेंट पेनल्टी के, पूरे बकाया सैंक्शन्ड लोन को जमा हुए इंटरेस्ट (अगर लागू हो) के साथ प्रीपे करने का हक होगा।

3.8. लोन लेने वाले को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI को किए गए किसी भी पेमेंट के संबंध में, किसी भी कानून के तहत, अभी या भविष्य में, किसी भी समय देय सभी ड्यूटी, सेस और दूसरे तरह के टैक्स देने होंगे। लोन लेने

वाला फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स को लागू करने या मंज़ूर लोन के संबंध में कोई भी रिकवरी की कार्रवाई करने में DMI द्वारा उठाए गए सभी बकाया अमाउंट और सभी लागतों, ड्यूटी, लेवी आदि के लिए ज़िम्मेदार होगा। लोन लेने वाला यह मानता है कि अगर इन T&C पर कोई स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है, तो लोन लेने वाला उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर ऊपर बताई गई कोई भी ड्यूटी, चार्ज, टैक्स और लागत DMI द्वारा लगाई जाती है, तो ये लोन लेने वाले से वसूले जाएँगे और पेमेंट की तारीख से लेकर रीइंबर्समेंट तक ओवरड्यू चार्ज लगेंगे।

3.9. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में दिए गए किसी भी नियम और शर्तों के बावजूद, बॉरोअर द्वारा चुकाई गई रकम सबसे पहले कॉस्ट, चार्ज, खर्च और दूसरे पैसों के लिए इस्तेमाल की जाएगी; दूसरी बार ओवरड्यू चार्ज, अगर कोई हो; तीसरी बार इंटरेस्ट के लिए; और आखिर में सैंक्शन्ड लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट के लिए।

3.10. ब्याज, ओवरड्यू चार्ज और दूसरे सभी चार्ज हर दिन लगेंगे और 30/360 दिन के तरीके के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे।

3.11. अगर किसी पेमेंट की ड्यू डेट कोई बिज़नेस डे नहीं है, तो लोन लेने वाला अगले बिज़नेस डे पर अमाउंट का पेमेंट करेगा।

3.12. बॉरोअर द्वारा DMI को दी जाने वाली सभी रकम बिना किसी कटौती के दी जाएगी। पेमेंट के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज तभी दिया जाएगा जब बकाया रकम मिल जाएगी।

3.13. बॉरोअर यह मानता है कि इंटरेस्ट रेट, पेनल्टी/ओवरड्यू चार्ज, सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज जो बॉरोअर फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत देने के लिए सहमत है, उसे सही और मंज़ूर हैं।

3.14. यहां या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी उल्टा होने के बावजूद, इस T&C की तारीख तक इक्विपमेंट/सिस्टम की सही डिटेल्स पता न होने या इक्विपमेंट/सिस्टम के किसी नुकसान/खराब होने/खोने/चोरी/दूसरी कमी या इक्विपमेंट/सिस्टम की डिलीवरी या देरी से डिलीवरी या नॉन-डिलीवरी या मर्चेंट के साथ झगड़े या इक्विपमेंट/सिस्टम का इस्तेमाल बॉरोअर कर रहा है या नहीं, इन वजहों से बॉरोअर की बकाया पेमेंट की ज़िम्मेदारियों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा, वे सीमित नहीं होंगी या उनमें देरी नहीं होगी; और बॉरोअर इस T&C के अनुसार समय पर सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मजबूर होगा।

3.15. बॉरोअर यह मानता है कि इक्विपमेंट/सिस्टम के परफॉर्मेंस या डिलीवरी के लिए मैन्युफैक्चरर और संबंधित मर्चेंट ही खास तौर पर ज़िम्मेदार होंगे और लेंडर इक्विपमेंट/सिस्टम की डिलीवरी में किसी भी देरी या नॉन-डिलीवरी और/या इक्विपमेंट/सिस्टम की क्वालिटी, कंडीशन, फिटनेस, सूटेबिलिटी या किसी और चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ऊपर बताई गई कोई भी बात बॉरोअर को इस T&C के तहत उसकी पेमेंट की ज़िम्मेदारियों से छूट नहीं देगी।

3.16. अगर किसी भी वजह से इक्विपमेंट/सिस्टम की डिलीवरी कैंसिल हो जाती है, तो लेंडर बॉरोअर का ड्यूज़ तभी चुका हुआ मानेगा, जब मर्चेंट, बॉरोअर के मर्चेंट की रिफंड पॉलिसी मानने पर लेंडर को अमाउंट रिफंड कर दे। ऐसे रिफंड के मामले में, लेंडर बॉरोअर द्वारा पेमेंट किया गया EPI, अगर कोई हो, तो खरीद और रिफंड के बीच के समय का इंटरेस्ट (अगर कोई हो) घटाकर रिफंड करेगा, और सैंक्शन्ड लोन को पूरी तरह से डिस्चार्ज मानेगा। प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं की जाएगी और अगर कोई रिफंड है, तो उसे उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा।

3.17. मंज़ूर लोन के डिस्बर्समेंट के बाद, अगर बॉरोअर किसी भी सही और वैलिड वजह से इक्विपमेंट/सिस्टम की खरीद कैंसिल करता है, जिसमें बिना किसी लिमिट के, इक्विपमेंट/सिस्टम के खराब होने, खराब होने या गारंटीड क्वालिटी का न होने की वजह से भी शामिल है और सेल का ऐसा कैंसिलेशन मर्चेंट सेल की शर्तों के अनुसार स्वीकार कर लेता है, तो बॉरोअर मर्चेंट द्वारा ऐसे कैंसिलेशन की मंज़ूरी की सूचना मिलने के 3 (तीन) दिनों के अंदर लेंडर को इस कैंसिलेशन के बारे में बताने के लिए सहमत होता है।

3.18. अगर बॉरोअर किसी भी ड्यू अमाउंट से ज़्यादा किसी भी अमाउंट का प्री-पेमेंट करता है, तो ऐसे पेमेंट को अगले ड्यू EPI में एडजस्ट किया जाएगा और बाकी रकम बॉरोअर को EPI की अगली ड्यू डेट पर या उससे पहले देनी होगी। अगर ऐसा पेमेंट अगले EPI के अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो अगले ड्यू EPI से ज़्यादा अमाउंट को बकाया प्रिंसिपल में एडजस्ट किया जाएगा और लोन के बचे हुए टाइम को कम करने के लिए रीपेमेंट शेड्यूल को बदला जाएगा (EPI की कुल संख्या कम करके)।

4. भुगतान का तरीका, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान

4.1. ऋण लेने वाला, डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अनुसार, देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेने वाले के बैंक खाते के विरूद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा/राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट क्लियरिंग)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैंडेट (सामूहिक रूप से " **मैंडेट " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा मैंडेट ऋण** लेने वाले के ऐसे बैंक और खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋण लेने वाला देय तिथियों/मैंडेट की पहली प्रस्तुति पर बिना चूके सभी भुगतानों का सम्मान करेगा । ऋण लेने वाले द्वारा प्रदान किया गया मैंडेट डीएमआई द्वारा ऋण लेने वाले के किसी भी बकाया की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऋण लेने वाला इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋण लेने वाले को अग्रिम सूचना देने या देने के साथ या उसके बिना ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। बॉरोअर को तुरंत (और किसी भी हालत में 7 (सात) दिनों के अंदर) DMI द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर, बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट के लिए बनाए गए मैंडेट और /या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अपनी मर्ज़ी से बदलना होगा। मैंडेट रजिस्ट्रेशन के रिजेक्ट होने पर, बॉरोअर को की फैक्ट स्टेटमेंट में दिए गए मैंडेट रिजेक्शन चार्ज भी देने होंगे।

4.2. उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक अकाउंट/अकाउंट में काफ़ी पैसे रखें ताकि बॉरोअर के ड्यू डेट्स पर उसका पेमेंट किया जा सके। बॉरोअर उस बैंक अकाउंट/अकाउंट्स को बंद नहीं करेगा जिससे मैंडेट जारी किया गया है , या कैंसिल नहीं करेगा या मैंडेट के तहत पेमेंट रोकने या देर करने के लिए बैंक या DMI को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा और DMI ऐसे किसी भी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं है । ऐसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को भी डिफ़ॉल्ट का इवेंट माना जाएगा।

4.3. बॉरोअर का दिया गया मैंडेट, उस मैंडेट की तारीख तक वैलिड रहेगा और बॉरोअर यह दावा नहीं करेगा कि बॉरोअर का दिया गया मैंडेट या ऐसा कोई दूसरा मैंडेट किसी भी वजह से इनवैलिड है।

4.4. बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि मैंडेट बॉरोअर के ड्यूज़ को चुकाने के लिए अपनी मर्ज़ी से जारी किया गया है , न कि किसी भी मकसद के लिए सिक्योरिटी के तौर पर । बॉरोअर यह भी मानता है कि किसी भी मैंडेट का अनादर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881/ पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट, 2007 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बॉरोअर को हर अनादर के लिए बाउंस चार्ज देना होगा। चेक या अधिदेश सहित स्थायी अनुदेश (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5. बॉरोअर यह मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लेंडर द्वारा एक रोकथाम के उपाय के तौर पर लगाए जाते हैं ताकि बॉरोअर को डिसऑनर हुए चेक/मैंडेट जारी करने से रोका जा सके और यह इन T&C के उल्लंघन के लिए लिक्विडेटेड डैमेज की तरह है। बताए गए बाउंस चार्ज का मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है। बॉरोअर यह भी मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लगाने से लोन या उसके किसी हिस्से का रीपेमेंट लागू करने के लेंडर के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या इन T&C या किसी लागू कानून के तहत लेंडर को मिलने वाले किसी दूसरे अधिकार या उपाय का इस्तेमाल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4.6. कोई भी झगड़ा या मतभेद, बॉरोअर को किसी भी EPI या दूसरी रकम का पेमेंट रोकने या देर करने का हक नहीं देगा और DMI को ड्यू डेट्स पर मैंडेट पेश करने का हक होगा।

4.7. तिस पर भी मैंडेट जारी होने के बाद , बॉरोअर ही समय पर बकाया पेमेंट पक्का करने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।

4.8. इसके अलावा, DMI चेक/ NEFT/RTGS/पेमेंट के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी पेमेंट स्वीकार करेगा और बॉरोअर अपने ड्यूज़ के पेमेंट के लिए ज़रूरत पड़ने पर इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि मैंडेट के अलावा किसी दूसरे तरीके से ड्यूज़ का पेमेंट करने पर ट्रांज़ैक्शन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बॉरोअर को देना होगा और उससे वसूला जाएगा।

5. सुरक्षा

5.1. उधारकर्ता एतद्द्वारा (i) उपकरण/प्रणाली (ii) उधारकर्ता के बैंक खाते और/या उधारकर्ता द्वारा बनाए रखे गए सावधि जमा (जैसा लागू हो) को, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है, मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित

अन्य प्रतिभूतियों के साथ, उधारकर्ता के बकाए के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए DMI के पक्ष में प्रथम, अनन्य और निरंतर प्रभार के आधार पर बंधक रखने के लिए सहमत है, जब तक कि DMI की संतुष्टि के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता के सभी बकाए का भुगतान नहीं हो जाता। बनाई गई सुरक्षा उधारकर्ता के समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण, दिवालियापन या मृत्यु या प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) से प्रभावित , क्षतिग्रस्त या मुक्त नहीं होगी। उधारकर्ता पुष्टि करता है शर्त यह है कि अगर इक्विपमेंट/सिस्टम (जो खरीदा जाना है) इस T&C पर साइन करते समय बॉरोअर को डिलीवर नहीं किया गया है, तो इक्विपमेंट/सिस्टम की डिटेल्स बॉरोअर को लिखकर लेंडर को देनी होंगी और वही इसका हिस्सा होंगी। बॉरोअर साफ़ तौर पर और बिना बदले इस बात के लिए सहमत है कि उसे यह दलील देने से कानूनन रोका जाएगा कि जिस तारीख को T&C पर साइन किए गए थे, उस तारीख को इक्विपमेंट/सिस्टम की सही डिटेल्स मौजूद नहीं थीं।

5.2. DMI के पक्ष में इक्विपमेंट/सिस्टम का हाइपोथेकेशन इस T&C पर साइन करते समय या इक्विपमेंट/सिस्टम की डिलीवरी या सैंक्शन्ड लोन के डिस्बर्समेंट के समय, जैसा भी मामला हो , पूरा माना जाएगा, जो भी पहले हो।

5.3. बॉरोअर को ऊपर बताए गए चार्ज को बनाने और पूरा करने के लिए सभी ज़रूरतों को हाइपोथेकेशन के ज़रिए पूरा करना होगा, जिसमें बिना किसी लिमिट के इस T&C में दिए गए डिक्लेरेशन को पूरा करना, ऐसे चार्ज को संबंधित अथॉरिटी (अगर लागू हो) के पास रजिस्टर करना और इंश्योरेंस पॉलिसी पर इसके ज़रूरी एंडोर्समेंट लेना और DMI को DMI की संतुष्टि के लिए इसका प्रूफ देना शामिल है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर डिलीवर किए जाने चाहिए।

5.4. बॉरोअर इस सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर दिए गए इक्विपमेंट/सिस्टम को रखेगा। बॉरोअर इस बात से सहमत है और यह वादा करता है कि वह अपने खर्चे पर इक्विपमेंट/सिस्टम को अच्छी और बेचने लायक हालत में रखेगा और सभी टूटे या खराब पार्ट्स को बदल देगा, जैसा कि इक्विपमेंट/सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए आम तरीका है। बॉरोअर इस बात से सहमत है कि वह इक्विपमेंट/सिस्टम के मैन्युफैक्चरर/मर्चेंट द्वारा खास तौर पर ऑथराइज़्ड रिपेयर करने वालों, डीलरों और सर्विस फैसिलिटीज़ को इक्विपमेंट/सिस्टम की मरम्मत और सर्विस के लिए रखेगा।

5.5. , DMI द्वारा इक्विपमेंट/सिस्टम को सरेंडर करने या वापस लेने पर, तुरंत DMI को इक्विपमेंट/सिस्टम की ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी देनी होगी ।

5.6. बॉरोअर यह मानता है कि उसे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों का पालन करने की शर्त पर इक्विपमेंट/सिस्टम का कब्ज़ा रखने की इजाज़त दी गई है। बॉरोअर हर सही समय पर DMI और उसके प्रतिनिधियों द्वारा इक्विपमेंट/सिस्टम के इंस्पेक्शन की सुविधा देगा। बॉरोअर DMI की मंज़ूरी के बिना इक्विपमेंट/सिस्टम पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को ट्रांसफर, बेचेगा या बनाएगा नहीं और न ही बॉरोअर द्वारा इक्विपमेंट/सिस्टम का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसफर करेगा। DMI की मंज़ूरी के बिना ऐसा कोई भी काम अमान्य माना जाएगा और यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट भी होगा, जिससे लेंडर को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने और बॉरोअर के खिलाफ FIR दर्ज करने का अधिकार होगा। ऐसा कोई भी गैर-कानूनी या बिना इजाज़त वाला ट्रांसफर या बिक्री, बॉरोअर की सभी बकाया रकम का पेमेंट करने की ज़िम्मेदारियों पर कोई असर नहीं डालेगी।

5.7. जब भी DMI मांगे, बॉरोअर को DMI को इक्विपमेंट/सिस्टम की पूरी जानकारी देनी होगी और समय-समय पर सभी स्टेटमेंट, रिपोर्ट, रिटर्न, सर्टिफिकेट और जानकारी देनी होगी और उन्हें वेरिफाई करना होगा। साथ ही, DMI के फेवर में इक्विपमेंट/सिस्टम पर बनाए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने या बॉरोअर के ड्यूज़ को सिक्योर करने के लिए DMI द्वारा मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा।

5.8. बॉरोअर इक्विपमेंट/सिस्टम को कोई नुकसान/परेशानी नहीं पहुंचाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जिससे यहां की सिक्योरिटी को नुकसान हो या खतरा हो ।

5.9. इक्विपमेंट/सिस्टम के इंस्टॉलेशन की जगह में किसी भी बदलाव के लिए, बॉरोअर को लेंडर से पहले से लिखित मंज़ूरी लेनी होगी।

5.10. बॉरोअर को DMI को समय-समय पर बॉरोअर के ड्यूज़ को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी होगी।

5.11. बॉरोअर, DMI की संतुष्टि के लिए, लेंडर को दी गई किसी भी सिक्योरिटी का एक अच्छा और मार्केटेबल टाइटल बनाएगा।

5.12. बॉरोअर यह वादा करता है कि इक्विपमेंट/सिस्टम, सभी सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज़ और सभी सेल से मिली रकम, इंश्योरेंस से मिली रकम और उससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा DMI के ऑर्डर पर उसके पास रहेंगे और DMI के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा।

5.13. बॉरोअर के सारा बकाया चुकाने पर, DMI एक नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा और इक्विपमेंट/सिस्टम पर सिक्योरिटी और उसके पक्ष में सुरक्षित कोई भी दूसरी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, बकाया चुकाने या सेटलमेंट के 30 (तीस) दिनों के अंदर रिलीज़ कर देगा।

6. उधारकर्ता के अनुबंध, प्रतिनिधित्व और वारंटी

6.1. उधारकर्ता को :

(a) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन और पालन करना ;

(b) DMI को समय-समय पर ज़रूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट समेत सभी डॉक्यूमेंट तुरंत DMI को देने होंगे। बॉरोअर DMI को यह भी अधिकार देता है कि वह (a) किसी भी बैंक से, जहाँ बॉरोअर का अकाउंट है, अलग से बात करे और उस अकाउंट के बारे में बैंक से डिटेल्स और स्टेटमेंट मांगे ; और (b) बॉरोअर के किसी भी सप्लायर/वेंडर/कस्टमर से, जैसा DMI ज़रूरी समझे, जिसमें बॉरोअर की क्रेडिट-वर्दी की मॉनिटरिंग भी शामिल है;

(c) किसी भी उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की तुरंत डीएमआई को सूचित करें ;

(d) भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना ;

(e) उधारकर्ता के कार्यालय/निवास/व्यावसायिक स्थान के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/बंद होने की लिखित रूप में डीएमआई को सूचित करें;

(f) ऐसे उधारकर्ता के मामले में जो कि एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी है, उधारकर्ता का एकमात्र स्वामी/साझेदार, स्वीकृत ऋण को ब्याज और अन्य देयताओं और शुल्कों सहित पूर्ण रूप से चुकाए बिना रोजगार, व्यवसाय या विदेश में दीर्घकालिक प्रवास के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;

(g) विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करना और विशेष रूप से इसका उपयोग (ए) पूंजी बाजारों में किसी भी निवेश के लिए नहीं करना, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और स्वर्ण म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो कानून द्वारा अवैध या निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

(h) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन (डीएमआई द्वारा निर्धारित) के मामले में डीएमआई द्वारा आवश्यक सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रदान करें;

(i) व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करना जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किए गए हैं;

(j) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करें ;

(k) इस T&C की शर्तों को प्रभावी करने के लिए DMI द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेंगे;

(l) उपकरण/प्रणाली की स्थापना, संचालन, कब्जे और उपयोग के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त करना और बनाए रखना ;

(m) उपकरण/प्रणाली के संचालन के संबंध में सभी सुरक्षा नियमों और साथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें , और उपकरण/प्रणाली का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया था;

(n) यह सुनिश्चित करना कि, अपने खर्च पर और ऋणदाता पर किसी दायित्व के बिना, उपकरण/प्रणाली की वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पहले के उदाहरणों में अधिकृत व्यक्तियों की सेवाओं के साथ पर्याप्त रूप से सर्विस/रखरखाव किया जाना है, यदि उपकरण/प्रणाली के किसी रखरखाव या शिकायतों का समाधान किया जाना है ताकि उपकरण/प्रणाली का मूल्य पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा सके;

(o) उपकरण/प्रणाली का व्यापक रूप से बीमा करवाएं, जैसा कि ऐसे उपकरण/प्रणाली के लिए प्रथागत है, जिसमें पारगमन बीमा शामिल है, जो उपकरण/प्रणाली के पारगमन और लोडिंग/अनलोडिंग से जुड़े सभी जोखिमों को कवर करता है, कानून के अंतर्गत आवश्यक तृतीय पक्ष देयता बीमा , और उधारकर्ता के बकाये के पुनर्भुगतान तक ऐसे बीमा को बनाए रखने के लिए सभी प्रीमियम का भुगतान करें और जब भी आवश्यक हो ऋणदाता को बीमा का प्रमाण प्रदान करें। ऐसे प्रत्येक बीमा अनुबंध/पॉलिसी को हानि प्राप्तकर्ता या लाभार्थी के रूप में ऋणदाता के पक्ष में या उसके लाभ के लिए उचित रूप से समर्थन किया जाना चाहिए। उधारकर्ता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उपकरण/प्रणाली के संबंध में किसी भी बीमा दावे को सीमित, शून्य या शून्य करने योग्य बनाता हो। उपकरण/प्रणाली की सुरक्षा के लिए और बीमा पर ऋणदाता के ग्रहणाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए , ऋणदाता अपने विवेक पर, स्वयं या व्यापारी के माध्यम से, अनुमोदित बीमा कंपनी को प्रीमियम भुगतान की सुविधा प्रदान करके उधारकर्ता की ओर से बीमा की व्यवस्था कर सकता बॉरोअर इस बात से सहमत है कि लेंडर, बॉरोअर के खर्च पर इंश्योरेंस पॉलिसियों से होने वाले झगड़ों को एडजस्ट, सेटल या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेंडर, इंश्योरेंस कंपनी से मिले किसी भी पैसे को बॉरोअर के बॉरोअर ड्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, इंश्योरेंस लेने की मुख्य ज़िम्मेदारी बॉरोअर की है, और लेंडर नॉन-रिन्यूअल या पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है;

(p) लेंडर को 3 (तीन) दिन के अंदर और लिखकर बताएं (a) इक्विपमेंट/सिस्टम की किसी भी चोरी या नुकसान, इक्विपमेंट/सिस्टम के संबंध में किसी भी इंश्योरेंस के होने (b) इक्विपमेंट/सिस्टम की इंश्योरेंस पॉलिसी के किसी भी नुकसान, खराब होने या गलत जगह रखे जाने या (c) किसी भी मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट या डिफ़ॉल्ट की घटना के बारे में; और इस संबंध में सभी समझदारी भरे कदम उठाएं या जैसा लेंडर को चाहिए। लेंडर के ऐसे किसी भी निर्देश या उसकी कमी के बावजूद, बॉरोअर, बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार बना रहेगा ;

(q) उपकरण /प्रणाली को अच्छी और कार्यशील स्थिति में बनाए रखें , सामान्य क्रम में टूट-फूट के अधीन और ऐसा कुछ भी न करें जो उपकरण/प्रणाली के संबंध में निर्माता द्वारा प्रदान की गई किसी भी वारंटी को शून्य या प्रतिबंधित करे;

(r) सभी टैक्स , ड्यूटी और अन्य कानूनी बकाया का भुगतान लागू कानूनों के अनुसार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा कोई भी बकाया इक्विपमेंट/सिस्टम पर कोई बोझ, दावा या चार्ज न हो। बॉरोअर ऑन-डिमांड लेंडर को चार्ज, टैक्स, असेसमेंट या अन्य खर्चों की हर रसीद दिखाएगा;

(s) उपकरण/प्रणाली के उपयोग, संचालन और कब्जे के संबंध में सभी लागू कानूनों का पालन करना ;

(t) उपकरण/प्रणाली के संबंध में किसी भी समय प्राप्त होने वाली किसी भी सब्सिडी का तुरंत ऋणदाता को भुगतान करें, जिसे ऋणदाता द्वारा इस नियम व शर्त के अनुसार बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(u) आवश्यक बैंक खाता विवरण सहित सभी दस्तावेज तुरंत सौंपें । उधारकर्ता ऋणदाता को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगने के लिए और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ जैसा कि ऋणदाता आवश्यक समझे, जिसमें उधारकर्ता की ऋण-योग्यता की निगरानी करना भी शामिल है, को अधिकृत करता है;

(v) कार्यालय/निवास/व्यापार के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार /पेशे/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/इस्तीफे/समाप्ति/बंद होने की लिखित रूप में ऋणदाता को सूचित करें ;

(w) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे ऋणदाता को भुगतान निर्देश जारी किए गए हैं ;

(x) संवितरण के दिन या उससे पहले ऋणदाता द्वारा अपेक्षित ऋण जीवन बीमा पॉलिसी लें, जिसमें दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेरोजगारी के लिए कवर शामिल होगा और ऐसी अन्य शर्तें जो ऋणदाता को स्वीकार्य होंगी, जैसा भी लागू हो;

(y) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करें ;

(z) सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और ऋणदाता द्वारा अपेक्षित ऋणदाता के साथ सहयोग करेगा (i) अनुपालन करने के लिए किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों / निर्देशों के साथ या (ii) ऋणदाता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए।

6.2. बॉरोअर, बॉरोअर के ड्यूज़ चुकाने तक, DMI को पहले से लिखकर बताए बिना कोई कर्ज़ (जिसमें आगे कोई लोन या उधार लेना शामिल है) लेने या कोई कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बॉरोअर की फैक्ट स्टेटमेंट (अगर लागू हो) में दी गई पाबंदियों के तहत भविष्य में कोई भी कर्ज़ लेगा या कोई कॉर्पोरेट गारंटी देगा। **इस क्लॉज़ का उल्लंघन करने पर, बॉरोअर को दिए गए किसी भी सैंक्शन्ड लोन के बकाया अमाउंट पर उस समय तक 3% (तीन परसेंट) हर साल का पेनल्टी चार्ज लगेगा, जब तक यह उल्लंघन जारी रहता है।**

6.3. बॉरोअर इसके अलावा DMI और/या उसके रेगुलेटर या DMI और/या उसके रेगुलेटर द्वारा नियुक्त किसी भी थर्ड पार्टी को बॉरोअर की जगह और /या अकाउंट की किताबों की जांच करने के लिए सहमत और अधिकृत करता है। बॉरोअर DMI, उसके रेगुलेटर, DMI द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी, या उसके रेगुलेटर द्वारा ऐसे कामों के लिए किए गए सभी खर्चों और लागतों को रीइंबर्स करेगा।

6.4. कर्जदार किसी भी समय ये नहीं करेगा:

(a) ऋणदाता की लिखित अनुमति के बिना उपकरण में कोई भी परिवर्तन करना और/या कोई भी भौतिक परिवर्तन और/या परिवर्धन करने की अनुमति देना ;

(b) ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपकरण/प्रणाली या किसी अन्य सुरक्षा पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को बेचना , भार डालना, स्थानांतरित करना या बनाना;

(c) लाइसेंस या पट्टे पर देना या अंतिम निपटान तिथि तक किसी भी अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपकरण/प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना ;

(d) उपकरण/प्रणाली के संबंध में ऐसा कोई कार्य करना जिसके कारण उपकरण/प्रणाली से संबंधित लाइसेंस, परमिट या उनमें से किसी को रद्द और/या अमान्य और/या निलंबित कर दिया जाए;

(e) उपकरण/प्रणाली का किसी अवैध या अनधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग करना या ऐसा कोई कार्य करना जिसके परिणामस्वरूप उपकरण/प्रणाली को संबंधित प्राधिकारी सहित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा जब्त या जब्त किया जा सकता है;

(f) नौकरी या बिज़नेस के लिए भारत छोड़ना या विदेश में लंबे समय तक रहना, उस समय के मंज़ूर लोन को ब्याज और दूसरे बकाए और चार्ज के साथ पूरी तरह चुकाए बिना।

6.5. बॉरोअर, लेंडर को नीचे दिए गए तरीके से रिप्रेजेंट और वारंट करता है:

(a) लोन एप्लीकेशन और किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में बॉरोअर ने जो भी जानकारी दी है, चाहे वह बॉरोअर की क्रेडिट योग्यता पता करने के लिए ज़रूरी हो या नहीं, वह सही और सटीक है और किसी भी तरह से गुमराह करने वाली नहीं है।

(b) बॉरोअर सभी लागू कानूनों के तहत फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स और उसके तहत ट्रांज़ैक्शन को पूरा करने और करने के काबिल और हकदार है।

(c) बॉरोअर लागू कानूनों के अनुसार सही तरीके से ऑर्गनाइज़्ड और वैलिड है और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत बताए गए तरीके से अपना बिज़नेस करने का हकदार है।

(d) बॉरोअर के पास इस T&C में शामिल होने की पूरी क्षमता, पावर और अधिकार है और इस तरह से लागू और डिलीवर किया गया T&C बॉरोअर पर कानूनी तौर पर लागू होगा।

(e) न तो बॉरोअर द्वारा फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना और डिलीवर करना, और न ही बॉरोअर की किसी भी

ज़िम्मेदारी को पूरा करना या उसका पालन करना, किसी भी कानून, कानून, नियम, आदेश, ट्रस्ट, एग्रीमेंट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, व्यवस्था, ज़िम्मेदारी या ड्यूटी के उल्लंघन का कारण बनेगा, जिससे बॉरोअर बंधा हुआ है। बॉरोअर ने सभी लागू कानूनों का पालन किया है और आगे भी करता रहेगा और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों को पूरा करने और अपना बिज़नेस जारी रखने के लिए लागू कानूनों के तहत ज़रूरी सभी संबंधित अथॉरिटीज़ से सभी ज़रूरी लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन ले लिए हैं।

(f) बॉरोअर यह बताता है कि वह Key Fact Statement और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, बिना किसी तीसरे पक्ष के दबाव/दबाव/दबाव के, Sanctioned Loan लेने के लिए सहमत है और उसे समझता है।

(g) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे DMI के हित पर बुरा असर पड़े या बॉरोअर की फाइनेंशियल हालत पर असर पड़े या फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत उनकी सभी या किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की उनकी ज़िम्मेदारी पर असर पड़े।

(h) बॉरोअर ने किसी भी टैक्स या सरकारी बकाया का पेमेंट नहीं किया है।

(i) बॉरोअर के खिलाफ कोई केस/प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं हैं या कोई खतरा नहीं है और बॉरोअर को अभी ऐसे किसी भी फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है जिससे ऐसे केस/प्रोसीडिंग्स या मैटेरियल क्लेम्स की संभावना हो।

(j) बॉरोअर के खिलाफ कोई बैंकरप्सी या इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स शुरू नहीं हुई हैं ।

(k) बॉरोअर को किसी भी रेगुलेटरी/स्टैच्युटरी अथॉरिटी और/या बैंकों और/या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और/या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों वगैरह ने डिफॉल्टर्स की किसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

(l) कोई डिफ़ॉल्ट की घटना नहीं हुई है और/या मौजूद है या जारी है।

6.6. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर DMI गोपनीयता नीति पढ़ ली है और उसी के लिए अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा DMI द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी करने, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए और DMI की व्यावसायिक आवश्यकताओं और गोपनीयता नीति में विस्तृत रूप से दिए गए किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए या जिसके लिए उधारकर्ता ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है, उपयोग करने, संग्रहीत करने और संसाधित करने के लिए अपनी सहमति देता है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि DMI लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या DMI गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है, ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है।

7. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

नीचे दिए गए काम/ घटनाएँ, हर मंज़ूर लोन के लिए बॉरोअर की तरफ़ से डिफ़ॉल्ट की एक घटना मानी जाएँगी:

7.1. देय तिथि पर देय किसी भी राशि के भुगतान में कोई चूक (" **डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना** ")

7.2. उधारकर्ता नियत तिथि पर किसी भी उधारकर्ता के बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है;

7.3. वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन ;

7.4. कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या गलत बयान या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना , जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;

7.5. उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

7.6. उधारकर्ता ड्रॉडाउन का इस्तेमाल मकसद के अलावा किसी और काम के लिए करता है या आखिरी इस्तेमाल का उल्लंघन करता है वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित प्रतिबंध;

7.7. किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी बदलाव सहित) की घटना जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसमें उधारकर्ता की दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी

संपत्ति की कुर्की/रोक शामिल है;

7.8. **इक्विपमेंट/सिस्टम से जुड़े डिफ़ॉल्ट:**

(a) किसी भी इक्विपमेंट/सिस्टम या उसके किसी हिस्से में कोई खराबी, खराबी, एक्सीडेंट, नुकसान या चोरी; या अगर इक्विपमेंट/सिस्टम या उसके किसी हिस्से को किसी भी तरह से बेचा, डिस्पोज़ किया, अलग किया या अटैच या रोका जाता है; या इक्विपमेंट/सिस्टम का इस्तेमाल किसी गैर-कानूनी काम के लिए किया जाता है; या अगर इक्विपमेंट/सिस्टम की रिपेयर और सही देखभाल लेंडर के लिए सही और संतोषजनक नहीं है ।

(b) प्रीमियम का समय पर पेमेंट करना भी शामिल है ; या किसी भी टैक्स, इंपोस्ट, ड्यूटी या दूसरी चीज़ों के पेमेंट में चूक या देरी या समय-समय पर कानून के तहत इक्विपमेंट/सिस्टम के लिए ज़रूरी किसी भी दूसरी फॉर्मैलिटी को पूरा करना।

(c) लेंडर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना इक्विपमेंट/सिस्टम के इंस्टॉलेशन की जगह बदलना ।

(d) इक्विपमेंट/सिस्टम को किसी अथॉरिटी द्वारा ज़ब्त, अटैच, हटाया जाता है या किसी दूसरी कार्रवाई के तहत लाया जाता है।

(e) इक्विपमेंट/सिस्टम किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से कब्ज़े में है, खतरे में है या डैमेज हो गया है, जिससे लेंडर की राय में यह पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है या किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से किसी व्यक्ति को चोट लगी है।

(f) लेंडर की पहले से लिखी हुई सहमति/मंज़ूरी के बिना, रिकॉर्ड किए गए हाइपोथेकेशन के एंडोर्समेंट को हटाना, बदलना/मैनिपुलेशन करना या संबंधित अथॉरिटी (जैसा लागू हो) के पास रजिस्ट्रेशन करना।

(g) बॉरोअर इक्विपमेंट/सिस्टम को इंस्पेक्शन के लिए इजाज़त नहीं देता/मदद नहीं करता ।

(h) बॉरोअर समय-समय पर कानून के तहत इक्विपमेंट/सिस्टम के लिए लगाए गए किसी भी टैक्स या ड्यूटी या दूसरी चीज़ों का पेमेंट करने में फेल रहता है या ज़रूरी किसी भी दूसरी फॉर्मैलिटी को पूरा नहीं करता है।

(i) कोई भी घटना , स्थिति या हालात मौजूद हैं या हुए हैं, जिनका लेंडर की राय में कोई मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा है या होने की उम्मीद है।

8. डिफ़ॉल्ट के परिणाम:

8.1. डिफ़ॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में DMI का फ़ैसला बॉरोअर पर लागू होगा।

8.2. किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर और उसके बाद किसी भी समय, DMI के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मंज़ूर लोन के सभी पेमेंट रोक दे, मंज़ूर लोन के संबंध में बकाया सभी रकम को, चाहे वह देनी हो या नहीं, तुरंत चुकाने लायक घोषित कर दे, लेकिन यह उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। और अगर बॉरोअर 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो DMI अपने विवेक से कोई भी दूसरा अधिकार या उपाय इस्तेमाल कर सकता है जो DMI को किसी भी लागू कानून के तहत मिल सकता है, जिसमें बॉरोअर या उनके एसेट्स के खिलाफ कोई रोक या ज़ब्ती की मांग करना शामिल है। ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, अगर बॉरोअर ऐसे पेमेंट की तय तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर अपने बकाए का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो DMI को, दूसरी बातों के साथ-साथ, उसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के तौर पर क्लासिफ़ाई करने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को उसके बारे में रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

8.3. ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक पर, उधारकर्ता की लागत और खर्च पर, आवश्यक होने पर बकाए की वसूली के लिए ऐसी कार्यवाही/कार्रवाई/कदम शुरू कर सकता है और/या सुरक्षा को लागू कर सकता है , जिसमें उपकरण/प्रणाली की वापसी और बिक्री या निपटान शामिल है, या तो नीलामी, सीमित निविदा, निजी बिक्री या ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है, जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की मांग किए बिना भी शामिल है;

8.4. लेंडर अपनी मर्ज़ी से उन सभी अधिकारों और उपायों का इस्तेमाल कर सकता है जो लागू कानूनों के तहत उसे

मिल सकते हैं।

9. पर्यावरण, सामाजिक और शासन

9.1 बॉरोअर को हर समय लागू एनवायरनमेंटल, हेल्थ, सेफ्टी और सोशल (EHSS) ज़रूरतों, सभी एनवायरनमेंटल कानूनों, उनके तहत दी गई परमिशन और क्लीयरेंस का पालन करना होगा और लेंडर को इनका पालन दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे।

9.2 बॉरोअर को नीचे दिए गए आम माहौल और सोशल शर्तों का पालन करना होगा, जिन्हें मंज़ूर लोन के समय के दौरान मॉनिटर किया जाएगा और लेंडर को इन शर्तों के पालन का सालाना ऑडिट करने का अधिकार होगा:

a) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि उसके द्वारा काम पर रखे गए वर्कफ़ोर्स सुरक्षित रूप से काम कर सकें, काम की जगह पर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना से बच सकें और/या लोकल कम्युनिटी की सुरक्षा पर असर से बच सकें।

b) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि उसके, उसके कॉन्ट्रैक्टर और सब-कॉन्ट्रैक्टर के काम करने वाले लोगों को रेगुलर तौर पर सही सैलरी मिले और लेबर वेलफेयर समेत लागू कानूनों के हिसाब से उन्हें कमिटेड बेनिफिट्स दिए जाएं।

c) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि एक्सीडेंट के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तैयारी को समय-समय पर मॉक ड्रिल के ज़रिए टेस्ट किया जाए।

d) बॉरोअर को प्रोजेक्ट/बिज़नेस के एनवायर्नमेंटल और सोशल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए लेंडर को काफ़ी डिटेल्स देनी होंगी।

e) प्रोजेक्ट की गतिविधियों या प्रोजेक्ट एरिया में खराब मौसम की वजह से होने वाली किसी भी घटना (जिससे वर्कर्स या आस-पास के लोगों की मौत / गंभीर चोटें, संपत्ति का नुकसान) के बारे में बॉरोअर को जल्द से जल्द लेंडर को बताएगा।

f) बॉरोअर यह वादा करता है कि वह सीधे या किसी और तरह से ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा जिससे देश के सोशल और इकोनॉमिक माहौल को खतरा हो या उस पर बुरा असर पड़ सकता हो।

g) बॉरोअर, लेंडर के बिज़नेस से जुड़े किसी भी व्यक्ति/एंटिटी/सरकार या दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ अपने लेन-देन में रिश्वत या धोखाधड़ी की किसी भी घटना/काम में शामिल नहीं होगा और/या उससे कोई लेना-देना नहीं रखेगा।

10. उपकरण/प्रणाली का पुनः कब्ज़ा और बिक्री

10.1. डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की फ़ाइनेंशियल घटना में, इस T&C की किसी भी शर्त के तहत लेंडर के किसी भी अधिकार पर कोई असर डाले बिना, लेंडर के पास इस क्लॉज़ के अनुसार इक्विपमेंट/सिस्टम को वापस लेने का पूरा और बिना रोक-टोक वाला अधिकार होगा। लेंडर, जब तक कि लेंडर के जायज़ हित को कोई नुकसान न हो या बॉरोअर के किसी जानबूझकर किए गए काम के मामले में जिससे इक्विपमेंट/सिस्टम की सिक्योरिटी को खतरा हो या जो लेंडर के हितों के ख़िलाफ़ हो, उचित नोटिस (कम से कम 48 घंटे का) देगा (" **वापस लेना** इक्विपमेंट/सिस्टम पर कब्ज़ा करने से पहले लोन देने वाला **(नोटिस**) देख सकता है। लोन देने वाला अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ा नोटिस को माफ़ कर सकता है। लेकिन, अगर बॉरोअर जानबूझकर लोन देने वाले से संपर्क करने से बचता है, तो लोन देने वाला कब्ज़ा करने की कार्रवाई करने का हकदार होगा।

10.2. बॉरोअर यह मानता है कि इक्विपमेंट/सिस्टम को वापस लेने का मकसद बॉरोअर का बकाया वसूलना है। वापस लेने की स्थिति में, बॉरोअर को इनकम के नुकसान, पैसे की दिक्कत या दूसरी मुश्किल के लिए लेंडर के खिलाफ कोई क्लेम करने का हक नहीं होगा ।

10.3. कब्ज़ा लेने की कोई भी कार्रवाई और उसके बाद बकाया रकम वसूलने और वसूलने के लिए सभी कार्रवाई , लेंडर लागू कानून के अनुसार और सही तरीके से करेगा ।

10.4. बॉरोअर यह मानता है कि बकाया बैलेंस के बदले इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉज़िट (अगर लागू हो) के एडजस्टमेंट के क्लेम के अलावा, बॉरोअर का लेंडर के खिलाफ इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉज़िट (अगर लागू हो) के इस्तेमाल

के लिए कोई क्लेम नहीं होगा। लेंडर डिफ़ॉल्ट की घटना/डिफ़ॉल्ट की फ़ाइनेंशियल घटना के संबंध में अपने सभी अधिकारों और उपायों का इस्तेमाल करने का भी हकदार बना रहेगा और इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉज़िट (अगर लागू हो) के इस्तेमाल को बॉरोअर द्वारा किसी भी देरी या डिफ़ॉल्ट की छूट या माफ़ी नहीं माना जाएगा।

10.5. डिफ़ॉल्ट की घटना होने और रिपज़ेशन नोटिस जारी होने पर, बॉरोअर, लेंडर के तय समय पर इक्विपमेंट/सिस्टम को सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफ़िकेट, अप्रूवल या परमिट के साथ सरेंडर करने का इंतज़ाम कर सकता है। हालाँकि, वह खुद इक्विपमेंट/सिस्टम को खोलने/बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बॉरोअर ऐसा रिपज़ेशन इंतज़ाम करने में नाकाम रहता है, तो लेंडर , बॉरोअर को बिना किसी और नोटिस या जानकारी के, लागू कानून के अनुसार इक्विपमेंट/सिस्टम को रिपज़ेशन करने का हकदार होगा।

10.6. ऐसे मकसद के लिए, लेंडर और उसके ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव / मर्चेंट (जिसमें लेंडर द्वारा ऐसे मकसद के लिए अपॉइंट किया गया कोई भी थर्ड पार्टी शामिल है) को ये हक होगा:

(i) प्रतिभूति तथा/अथवा उससे संबंधित समस्त या किसी दस्तावेज को, चाहे वे किसी के भी कब्जे में हों/जहाँ भी वे संग्रहीत/स्थापित हों, उनकी सामग्री सहित, अपने कब्जे में ले लेना तथा यदि वे खतरनाक एवं नाशवान प्रकृति के हैं तो उनका तत्काल निपटान कर देना;

(ii) नीचे दिए गए खंड के अनुसार, उधारकर्ता के लिए और उसकी ओर से और सभी मामलों में उधारकर्ता के जोखिम पर किसी भी प्रतिभूति को बेचना, निपटाना और उसकी बिक्री से प्राप्त आय का पूरा या उसका कोई भाग वसूलना तथा उसकी डिलीवरी देने के लिए आवश्यक या समीचीन सभी अनुबंधों, घोषणाओं और उपकरणों पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें निष्पादित करना;

(iii) किसी भी सुरक्षा की वसूली के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना, जिसमें कोई दावा, वाद, याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू करना और उक्त प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक वकालतनामा और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें निष्पादित करना और ऐसे वाद या कार्रवाई का समझौता या निपटारा करना शामिल है;

(iv) सभी कागज़ात, पत्राचार, वाउचर, फॉर्म, आवेदन, याचिका, रसीदें, दस्तावेज़, विलेख, अनुबंध और लेखों पर हस्ताक्षर करना जो उधारकर्ता इन प्रस्तुतियों और/या उधारकर्ता की ओर से स्वीकृत ऋण के तहत या उसके अनुसरण में करने के लिए बाध्य होगा और किसी भी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना और उसके निष्पादन को स्वीकार करना;

(v) इन प्रस्तुतियों से संबंधित सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से करना, निष्पादित करना और निष्पादित करना जैसे कि उधारकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से इन्हें किया हो;

(vi) इन प्रस्तुतियों के आधार पर ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति के संबंध में जो कुछ भी किया जाएगा, उसकी पुष्टि तथा अनुसमर्थन करना;

(vii) कि उपरोक्त शक्तियां बहुमूल्य विचार के लिए प्रदान की गई हैं और इस प्रकार ये तब तक अपरिवर्तनीय प्रकृति की रहेंगी जब तक कि स्वीकृत ऋण और/या इन प्रस्तुतियों के संबंध में या इनके अनुसरण में कोई राशि बकाया या देय रहती है;

(viii) उधारकर्ता के लिए और उसके नाम पर अटॉर्नी के रूप में या अन्यथा सुरक्षा या उसके किसी भाग की वसूली करना और/या रिसीवर नियुक्त करना, देनदारों और उसके लिए उत्तरदायी तीसरे पक्ष को नोटिस और मांग देना और उसके लिए वाद-पत्र लाना, वसूली करना, प्राप्त करना और रसीदें देना और सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा बेचना या वसूल करना या अन्यथा ऐसे ऋणों के सभी या किसी भाग का निपटान करना या सौदा करना और सुरक्षा या उसके किसी भाग को किसी भी तरह लागू करना, निपटारा करना, समझौता करना या सौदा करना और उससे प्राप्त शुद्ध आय को यहां वर्णित तरीके से और उद्देश्यों के लिए लागू करना जिसमें बीमा राशि का आवेदन भी शामिल है। जैसा कि नीचे दिए गए खंड में उल्लेख किया गया है, यदि, हालांकि सुरक्षा से प्राप्त शुद्ध आय उधारकर्ता के ऋणदाता के ऋण को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को कमी का भुगतान करेगा;

(ix) समय-समय पर या किसी भी समय अपने विवेकानुसार, परंतु उधारकर्ता के जोखिम और उसके कारण भारत में या अन्यत्र अपने हितों की सुरक्षा के लिए सभी अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा वह ठीक समझे और उधारकर्ता ऋणदाता को कोई भी धनराशि देगा, जो ऐसे हेज फॉरवर्ड या अन्य अनुबंधों के तहत या उसके आधार पर देय हो;

(x) किसी रिसीवर, एजेंट, मैनेजर या दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना जो लेंडर को मिली सभी या किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, और जो बनाई गई सिक्योरिटी के लिए है, और बॉरोअर से ऐसे रिसीवर, एजेंट, मैनेजर या दूसरे व्यक्ति का मेहनताना और/या चार्ज वसूलने और लेने का हकदार होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है ।

10.7. बॉरोअर यह मानता है और सहमत है कि लेंडर/मर्चेंट और रिकवरी एजेंट ऐसे अपनी मर्ज़ी से सरेंडर/रिपोज़ेशन से होने वाले रेवेन्यू या बिज़नेस के किसी भी नुकसान या किसी भी दूसरे नुकसान के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होंगे। बॉरोअर को ऊपर बताई गई बातों के बारे में लेंडर/मर्चेंट या रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई क्लेम करने का हक नहीं होगा।

10.8. **इक्विपमेंट/सिस्टम की बिक्री** : लेंडर सिक्योरिटी/इक्विपमेंट/सिस्टम की बिक्री पूरी करने से पहले बॉरोअर को कम से कम 48 (अड़तालीस) घंटे पहले नोटिस देगा। बॉरोअर यह भी मानता है कि सिक्योरिटी/इक्विपमेंट/सिस्टम को लेंडर द्वारा बेचा या डिस्पोज़ किया जा सकता है , बशर्ते कि लेंडर उसे कोई भी शर्तें लागू करने के लिए सही समझे, और किसी भी व्यक्ति (जिसमें लेंडर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल है) को। लेंडर ऐसी पावर के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लायबल या ज़िम्मेदार नहीं होगा और/या लेंडर द्वारा बताए गए मकसद के लिए रखे गए किसी दूसरे व्यक्ति या बॉडी के किसी भी काम या डिफ़ॉल्ट से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। बॉरोअर यह भी कन्फर्म करता है कि लेंडर अपनी बिक्री की पावर के इस्तेमाल से मिली किसी भी रकम के लिए अच्छा डिस्चार्ज देने के लिए ऑथराइज़्ड है और खरीदार यह पूछने के लिए मजबूर नहीं होगा कि बिक्री की पावर यहाँ बताए गए तरीके से आई है या नहीं, और न ही उसे इस बात से कोई लेना-देना होगा कि ऐसी बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। T &C की शर्तों के तहत ऐसी किसी भी बिक्री/डिस्पोजल से होने वाले किसी भी नुकसान या किसी भी तरह से इसके टाले जाने के संबंध में बॉरोअर का लेंडर और/या उसके नॉमिनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, चाहे वह किसी भी वजह से हुआ हो और चाहे इक्विपमेंट/सिस्टम के पूरे या किसी हिस्से के रिडेम्पशन, बिक्री या डिस्पोजल पर ऐसे रिडेम्पशन/बिक्री की तारीख को टालने या आगे बढ़ाने या किसी और तरह से बेहतर कीमत मिल सकती थी या नहीं।

10.9. **इक्विपमेंट/सिस्टम की रिलीज़** : बॉरोअर, इक्विपमेंट/सिस्टम की बिक्री पूरी होने से पहले किसी भी समय, पूरा बकाया पेमेंट करके और डिफ़ॉल्ट की घटना/डिफ़ॉल्ट की फ़ाइनेंशियल घटना को ठीक करके, लेंडर की संतुष्टि के लिए, डिफ़ॉल्ट की घटना के कारण लेंडर द्वारा उठाए गए सभी खर्चों और लागतों को बिना किसी सीमा के पूरा करके, उसे रिलीज़ करने की मांग कर सकता है। हालांकि, ऐसी रिलीज़ लेंडर की मर्ज़ी पर होगी और यह बॉरोअर का कोई हक़/अधिकार नहीं होगा।

10.10. बॉरोअर्स सभी खर्चों और लागतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे, जिसमें बिना किसी लिमिट के कोई भी डेमरेज फीस, पार्किंग चार्ज , टोइंग कॉस्ट, ब्रोकरेज, कानूनी खर्च (वकील की फीस सहित) शामिल हैं, जो लेंडर को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय हो सकते हैं, जिसमें बिना किसी लिमिट के सिक्योरिटी / इक्विपमेंट/सिस्टम का रिपज़ेशन, मेंटेनेंस या बिक्री और बॉरोअर के ड्यूज़ की रिकवरी शामिल है।

10.11. T&C के अनुसार बकाया रकम में से इस्तेमाल की जाएगी । सिक्योरिटी/इक्विपमेंट/सिस्टम की ऐसी बिक्री/बेचने और बकाया रकम में से इस्तेमाल के बाद बची हुई किसी भी बकाया रकम का पेमेंट बॉरोअर को करना होगा। बॉरोअर की बकाया रकम (जिसमें बिना किसी लिमिट के कोई भी खर्च शामिल है) से ज़्यादा मिली कोई भी रकम बॉरोअर को वापस कर दी जाएगी।

10.12. इसके विपरीत व्यक्त या निहित किसी भी बात के बावजूद:

(i) लेंडर इस एग्रीमेंट या किसी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में बताई गई किसी भी पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं होगा; या

(ii) अगर लेंडर इस एग्रीमेंट में बताई गई किसी एक या ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, तो इससे लेंडर के अधिकारों और बॉरोअर के खिलाफ कानून में चल रहे किसी भी केस या किसी कानूनी कार्रवाई के उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा; या

(iii) लेंडर या उसके ऑफिसर, एजेंट या नॉमिनी किसी भी तरह से किसी भी नुकसान, डैमेज, लिमिटेशन या डेप्रिसिएशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे, जो इक्विपमेंट/सिस्टम को किसी भी वजह से हो सकता है, जब तक वह लेंडर, उसके ऑफिसर, एजेंट या नॉमिनी के पास है या लेंडर या उसके ऑफिसर, एजेंट या नॉमिनी को मिले अधिकारों, पावर, या उपायों के इस्तेमाल या न करने की वजह से होता है और ऐसा सारा नुकसान, डैमेज या डेप्रिसिएशन बॉरोअर के अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, चाहे वह किसी भी तरह से हुआ हो; या,

(iv) न तो लेंडर और न ही उसके एजेंट, ऑफिसर या नॉमिनी किसी भी तरह से ज़िम्मेदार और लायबल होंगे, और बॉरोअर इस बात से सहमत है कि इस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार इक्विपमेंट/सिस्टम का चार्ज लेने और/या कब्ज़ा करने, ज़ब्त करने के समय इक्विपमेंट/सिस्टम में रखे या पड़े किसी भी सामान और आर्टिकल के किसी भी नुकसान, डैमेज, लिमिटेशन या किसी और तरह से लेंडर या उसके ऑफिसर, एजेंट या किसी नॉमिनी को लायबल नहीं बनाएगा।

11. हानि से सुरक्षा

11.1. उधारकर्ता अपने निदेशकों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों, नियुक्तियों के प्रति उत्तरदायी होगा और (i) उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के किसी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सभी धनराशि और हानि की भरपाई करेगा; (ii) उपकरण/प्रणाली के कब्जे, संचालन और उपयोग/दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी तीसरे पक्ष की देयता सहित कोई भी देयता (iii) उधारकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और वारंटी के झूठे या असत्य होने के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए या सहन किए गए किसी भी दावे, हानि, मांग, कार्रवाई, लागत, खर्च और देयताएं; (iv) सुरक्षा के भार और/या किसी पिछले भार से मुक्त नहीं होने के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए या सहन किए गए किसी भी दावे, हानि, मांग, कार्रवाई, लागत, खर्च और देयताएं (v) उपकरण/प्रणाली की बिक्री से उत्पन्न होने वाली किसी भी तीसरे पक्ष की देयता सहित कोई भी देयता; (iv) इक्विपमेंट/सिस्टम से जुड़े किसी भी टैक्स की मांग या इस T&C और डॉक्यूमेंट्स पर बॉरोअर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट न करना या कम पेमेंट करना और कोई भी दूसरी लिखावट या डॉक्यूमेंट्स जो इस T&C के तहत और/या इससे जुड़े हो सकते हैं ; और/या (v) इस T &C के तहत फाइनेंसिंग में लेंडर के पार्टी होने की वजह से । बॉरोअर इस बात से सहमत है कि वह इस संबंध में लेंडर द्वारा मांगी गई कोई भी रकम, हर ऐसी मांग पर, बिना किसी आपत्ति, विरोध, सेट-ऑफ, काउंटरक्लेम या विवाद के तुरंत दे देगा।

12. मिश्रित

12.1. DMI के रिकॉर्ड में की गई एंट्री, बॉरोअर के ड्यूज़ के होने और उसकी रकम का पक्का सबूत होंगी और DMI द्वारा दिया गया ड्यूज़ का कोई भी स्टेटमेंट बॉरोअर द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर लागू होगा।

12.2. अगर एक से ज़्यादा बॉरोअर ने किसी मंज़ूर सुविधा के लिए मिलकर अप्लाई किया है , तो बॉरोअर के बकाए के रीपेमेंट के लिए बॉरोअर की ज़िम्मेदारी जॉइंट और कई होगी।

12.3. बॉरोअर सभी डॉक्यूमेंट्स और बदलावों को पूरा करेगा और DMI की ज़रूरत के हिसाब से DMI के साथ सहयोग करेगा: (i) RBI की किसी भी गाइडलाइंस/डायरेक्शन्स का पालन करने के लिए; या (ii) DMI को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अधिकारों का पूरा फ़ायदा देने के लिए। ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी भेदभाव के , बॉरोअर इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे बदलाव फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल माने जाएंगे और बॉरोअर पर लागू होंगे।

12.4. किसी भी मंज़ूर लोन के सस्पेंशन या टर्मिनेशन के बावजूद, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार DMI के सभी अधिकार और उपाय तब तक बने रहेंगे जब तक DMI को बॉरोअर का पूरा ड्यूज़ नहीं मिल जाता।

12.5. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डीएमआई अपने अधिकारों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने का हकदार होगा और उसके पास ऐसा करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा, लागू कानूनों के अधीन (जिन्हें आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और ऐसी पार्टी को उधारकर्ता के प्रशासन से संबंधित जानकारी के सोर्सिंग, पहचान और सत्यापन से संबंधित वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को सौंप सकता है, स्वीकृत ऋण की निगरानी कर सकता है और नोटिस भेजने, उधारकर्ता से संपर्क करने, डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता से नकद / चेक / ड्राफ्ट / अधिदेश प्राप्त करने सहित इससे संबंधित सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित और निष्पादित कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर को DMI, बॉरोअर से बकाया किसी भी रकम/रिपोज़ेशन के लिए रिकवरी एजेंट/कलेक्शन एजेंट/एजेंसी के तौर पर भी अपॉइंट कर सकता है और ऐसे रिकवरी एजेंट/एजेंसी/कलेक्शन एजेंट/एजेंसी की डिटेल्स की फैक्ट स्टेटमेंट में दी जाएंगी या DMI द्वारा बदलाव या अपडेट किए जाने पर बॉरोअर को लिखकर बताया जाएगा।

12.6. बॉरोअर यह मानता है कि इस फाइनेंसिंग ट्रांज़ैक्शन से उसके और DMI के बीच डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता बनता है, न कि DMI द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सर्विस के संबंध में। इसलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के नियम इस ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं होंगे।

12.7. बॉरोअर यह मानता है और DMI को समय-समय पर बॉरोअर का PAN/PAN कार्ड की कॉपी, दूसरा पहचान का सबूत और बैंक अकाउंट की जानकारी लेने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी से रिपोर्ट बनाने/लेने के लिए भी अधिकार देता है। और ऐसी दूसरी रिपोर्ट जब DMI को ठीक लगे। बॉरोअर इसके द्वारा DMI को आधार e-KYC या किसी और तरीके से अपना KYC वेरिफिकेशन करने और अपनी ओर से या किसी और तरह से ऐसे सभी काम करने के लिए मंज़ूरी देता है, जो इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी हों, जिसमें आधार e-KYC और बॉरोअर के बिज़नेस का वेरिफिकेशन शामिल है और ऐसी जानकारी किसी भी अथॉरिटी के साथ शेयर करना और ऐसी जानकारी को उस तरह से स्टोर करना जैसा वह ठीक समझे, लागू कानूनों के अधीन। DMI किसी भी लागू कानून का पालन करने के लिए DMI के पास मौजूद किसी भी डेटा को ऐसे तरीके से प्रोसेस कर सकता है जैसा वह ठीक समझे, जिसमें कोई भी KYC/एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस करना शामिल है।

12.8. बॉरोअर DMI को सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफ़ाई करने के लिए ऑथराइज़ करता है, जिसमें इनकम प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स, घर और रजिस्टर्ड ऑफ़िस/ दूसरे बिज़नेस से जुड़े एड्रेस प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल और फ़ाइनेंशियल जानकारी वाले दूसरे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, जो उन्होंने कोई भी सैंक्शन्ड लोन लेने के लिए जमा किए हैं और वे DMI द्वारा उन्हें बाद में रखने के लिए भी मंज़ूरी देते हैं।

12.9. किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की भौतिकता के बारे में डीएमआई की राय उधारकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी ।

13. खुलासे

13.1. उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी चूक, यदि कोई हो, से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें DMI स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे और/या RBI द्वारा अधिकृत किया जाए, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और ऐसी जानकारी को DMI/तृतीय पक्ष/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/ RBI द्वारा उपयोग और संसाधित करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, DMI और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जैसा लागू हो, 'चूककर्ता' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा DMI/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/RBI/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उचित

समझें, बॉरोअर, DMI को अभी या भविष्य में जानकारी शेयर करने और/या बताने के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानेगा और न ही बॉरोअर और/या किसी और को इसकी वजह से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए ज़िम्मेदार मानेगा। इस क्लॉज़ के नियम T&C के खत्म होने और बॉरोअर के ड्यूज़ के रीपेमेंट के बाद भी लागू रहेंगे ।

14. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

14.1. सभी मंज़ूर लोन और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स भारत के कानूनों के हिसाब से चलेंगे और समझे जाएंगे।

14.2. इन प्रस्तुतियों से होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव या फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत पार्टियों के अधिकार और देनदारियों के बारे में, वेबन्याय प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट (https://www.dmifinance.in/wp-content/uploads/2025/05/Arbitration.pdf) पर लिस्टेड ऐसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके आर्बिट्रेशन नियमों (" **नियम** ") के अनुसार वर्चुअली तय किए जाएँगे । पार्टियाँ सहमत हैं कि आर्बिट्रेशन नियमों के तहत नियुक्त ऐसे आर्बिट्रेटर के सामने होगा और, इस उद्देश्य के लिए, एग्रीमेंट में उपलब्ध, दिए गए या अन्यथा संदर्भित ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर पर विचार किया जाएगा। हर पार्टी आर्बिट्रेशन कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। अगर आर्बिट्रेटर की राय में आर्बिट्रेशन कार्यवाही वर्चुअली संचालित नहीं की जा सकती है, तो कार्यवाही फिजिकली की जाएगी। आर्बिट्रेशन की जगह दिल्ली होगी और आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 के सेक्शन 29(B) में बताए गए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत कार्रवाई होगी। आर्बिट्रेशन के अंतरिम अवॉर्ड सहित सभी संबंधित पार्टियों के लिए आखिरी और मानने लायक अवॉर्ड होंगे। आर्बिट्रेटर बिना कोई कारण बताए अवॉर्ड पास कर सकते हैं ।

14.3. इसके अलावा, यह क्लॉज़ फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने के बाद भी लागू रहेगा। फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स से होने वाले किसी भी या सभी झगड़ों पर दिल्ली, भारत की अदालतों का खास अधिकार क्षेत्र होगा (यह आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के अधीन होगा जो दिल्ली, भारत में भी की जाएगी)।

14.4. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल कोई भी बात लेंडर के अधिकारों, उपायों और उनके इस्तेमाल को सीमित या नुकसान नहीं पहुंचाएगी या प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें बिना किसी सीमा के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, 2002 या बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993 के बकाया कर्ज की रिकवरी, या इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 या आर्बिट्रेटर/ट्रिब्यूनल/कोर्ट प्रोसेस के तहत शामिल है और ऐसे किसी भी मामले में, लेंडर इस क्लॉज के तहत प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता है।

15. कार्यभार

DMI की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना, बॉरोअर को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, ज़िम्मेदारी या ड्यूटी को किसी भी व्यक्ति को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से जॉइंटली या अलग-अलग ट्रांसफर या असाइन करने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई थर्ड-पार्टी इंटरेस्ट बनाने का हक नहीं होगा।

DMI को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अपने सभी या किसी भी फायदे, अधिकार, ज़िम्मेदारी, ड्यूटी और/या देनदारियों को किसी भी तरह से (पूरी तरह या कुछ हिस्से में और पार्टिसिपेशन राइट्स देकर भी) बेचने, ट्रांसफर करने, असाइन करने या सिक्योरिटाइज़ करने का हक होगा, बिना बॉरोअर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के या उसे बताए, ऐसे तरीके और शर्तों पर जैसा DMI तय करे। ऐसे ट्रांसफर, असाइनमेंट या सिक्योरिटाइज़ेशन की स्थिति में, बॉरोअर ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और निभाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में, अगर DMI ऐसा करने के लिए कहता है, तो बॉरोअर बाकी मैंडेट को ट्रांसफरी/असाइनी के पक्ष में बदल देगा।

16. **नोटिस**

फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बॉरोअर को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी सही माना जाएगा जब वह बॉरोअर को दिया गया हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से बॉरोअर के मौजूदा या आखिरी बिज़नेस या प्राइवेट पते पर भेजा गया हो या छोड़ा गया हो। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस, पोस्ट होने के 48 घंटे के अंदर बॉरोअर को मिल गया माना जाएगा । DMI को भेजा गया कोई भी नोटिस तभी सही माना जाएगा जब वह DMI को उसके ऊपर बताए गए पते पर मिला हो।

मंज़ूर की सुविधा के बारे में किसी भी शिकायत के लिए, वह Key Fact Statement में दी गई जानकारी के ज़रिए DMI से संपर्क कर सकता है।

17. परिसंपत्ति वर्गीकरण

17.1. **आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार – आरबीआई द्वारा 12 नवंबर, 2021 को जारी स्पष्टीकरण, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत, नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करके पहचानेगा** :

17.2. " **अतिदेय तिथि " का** तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि को उधारकर्ता के खाते को दिन समाप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

17.3. उदाहरण : अगर लोन अकाउंट की ड्यू डेट महीने की 15-Mar-22 है और DMI के इस तारीख के लिए डे-एंड प्रोसेस चलाने से पहले पूरा ड्यू नहीं मिलता है, तो बॉरोअर को नीचे दिए गए कैटेगरी में रखा जाएगा –

EPI नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से पहले के दिन (DPD)**	**-**
की तारीख अतिदेय	15-मार्च-22	30 तक	एसएमए0
एपि अभी भी बाकी है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
EPI अभी भी ओवरड्यू है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	14-मई-22	61-90	एसएमए2
EPI अभी भी ओवरड्यू है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

क्लासिफ़ाई किए गए लोन अकाउंट को 'स्टैंडर्ड' एसेट के तौर पर तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब बॉरोअर ब्याज और प्रिंसिपल का पूरा बकाया चुका दे।

उदाहरण:

विवरण	परिद्रश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक पूरा बकाया अमाउंट नहीं चुका दिया जाता, तब तक बॉरोअर को NPA के तौर पर रिपोर्ट किया जाता रहेगा।	मानक

RBI के सर्कुलर नंबर RBI/2021-2022/158 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22, तारीख 15 फरवरी, 2022 के अनुसार, सिनेरियो1 (NPA के तौर पर क्लासिफाइड को' स्टैंडर्ड' एसेट के तौर पर तभी **अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी

i. NPA अकाउंट्स की रिपोर्टिंग अब रोज़ाना की जाएगी।

ii. अगर बॉरोअर ने DMI से एक से ज़्यादा लोन लिए हैं, तो लोन अकाउंट को NPA से स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब सभी लोन से जुड़े ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।

iii. किसी अकाउंट को NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई करने का असर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा मेंटेन किए जाने वाले क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए, DMI सभी बॉरोअर से रिक्वेस्ट करता है कि वे लोन रीपेमेंट शेड्यूल/की फ़ैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई ड्यू डेट के हिसाब से अपना EPI पेमेंट करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार होता है, पेनल्टी से बचा जा सकता है, और टॉप-अप लोन/ऑफ़र के लिए एलिजिबिलिटी बेहतर होती है।

iv. हम सभी बॉरोअर को https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए कहते हैं। EPIs का पेमेंट करने के लिए ।

18. **स्वीकृति:**

मुझे/हमें पता है कि DMI इस T&C में पार्टी बनने के लिए तभी सहमत होगा, जब वह T&C में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और डिटेल्स और DMI पॉलिसी के अनुसार दूसरे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स से खुद को संतुष्ट कर लेगा। मैं/हम सहमत हैं कि यह T&C DMI के डिजिटली साइन करने पर या मंज़ूर लोन के पहले डिस्बर्समेंट की तारीख (जैसा लागू हो), जो भी पहले हो, कानूनी तौर पर लागू होगा।

की खरीद के मकसद से दिए गए मंज़ूर लोन के संबंध में , मैं मंज़ूर लोन के संबंध में सभी बॉरोअर ड्यूज़ को सुरक्षित करने के लिए DMI के पक्ष में एक कंटीन्यूइंग सिक्योरिटी के तौर पर फाइनेंस किए गए प्रोडक्ट को हाइपोथेकेट करता/करती हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगा/करूँगी और विशेष रूप से इसका उपयोग इसके लिए

नहीं करूँगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने के बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) कोई भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

साइन करके या "मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके/ ई-साइनिंग करके, बॉरोअर इन T&C पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन करता है और इनकी शर्तों से कानूनी तौर पर बंधा होने के लिए सहमत होता है। बॉरोअर का इन T&C को मानना ये बनाएगा: (I) बॉरोअर का इन T&C में बताए गए सभी नियमों और शर्तों को बिना किसी बदलाव के स्वीकार करने और बिना किसी शर्त के उनसे बंधा होने का एग्रीमेंट; और (II) बॉरोअर का यह मानना और कन्फर्म करना कि इन T&C (फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ) को बॉरोअर ने ठीक से पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

उधारकर्ता घोषणा

पक्ष में :

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल एक कंपनी है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अस्तित्व में है, सीआईएन: U65929DL2008PTC182749 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, भारत में है (इसके बाद " **ऋणदाता** " के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या इसके अर्थ के विपरीत न हो, इसका मतलब इसके उत्तराधिकारियों और असाइनियों को शामिल करना माना जाएगा)।

जबकि:

1. बॉरोअर ने इक्विपमेंट/सिस्टम खरीदने के लिए लोन के लिए लेंडर से संपर्क किया है (*डिटेल्स की फैक्ट स्टेटमेंट में दी गई हैं*) और लेंडर को सैंक्शन्ड लोन को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं (*डिटेल्स की फैक्ट स्टेटमेंट में दी गई हैं*)।
2. लोन देने वाला, बॉरोअर के कहने पर, लोन देने वाले को नीचे बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर सैंक्शन्ड लोन देने के लिए मान गया है।
3. बॉरोअर, Key Fact Statement में बताए गए इक्विपमेंट/सिस्टम, बॉरोअर का बैंक अकाउंट और/या बॉरोअर द्वारा मेंटेन किया गया फिक्स्ड डिपॉजिट (जैसा भी लागू हो) और Key Fact Statement में बताई गई दूसरी सिक्योरिटीज़ को इस डिक्लेरेशन और दूसरे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताई गई शर्तों के अनुसार लेंडर के पक्ष में गिरवी रखने के लिए सहमत हो गया है।

घोषणा

1. बॉरोअर, Key Fact Statement में बताए गए इक्विपमेंट/सिस्टम, बॉरोअर का बैंक अकाउंट और/या बॉरोअर द्वारा मेंटेन किया गया फिक्स्ड डिपॉजिट (जैसा भी लागू हो) को, Key Fact Statement में बताई गई दूसरी सिक्योरिटीज़ के साथ, बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, लेंडर के फेवर में फर्स्ट, एक्सक्लूसिव और कंटीन्यूइंग चार्ज बेसिस पर तब तक हाइपोथेक करता है , जब तक कि लेंडर की सैटिस्फैक्शन के लिए फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बॉरोअर के सभी ड्यूज़ का पेमेंट नहीं हो जाता। बनाई गई सिक्योरिटी पर बॉरोअर के इन्सॉल्वेंसी या डेथ का कोई असर, डैमेज या डिस्चार्ज नहीं होगा।
2. इस डिक्लेरेशन को T&C के साथ पढ़ा जाएगा और इस डिक्लेरेशन में इस्तेमाल किए गए किसी भी कैपिटलाइज़्ड शब्द का, जिसे यहां डिफाइन नहीं किया गया है, वही मतलब होगा जो T&C में उस शब्द का है।

इसके सबूत के तौर पर, पार्टियों ने इस डिक्लेरेशन को उस तारीख को लागू करवाया है जिस दिन इस पर आखिरी बार साइन किया गया था।

उधार लेने वाला:

तारीख:

जगह:

संवितरण अनुरोध प्रपत्र

तारीख:

को,

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल

9-10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली – 110002

विषय: दिनांक _____ के स्वीकृति पत्र द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधा के वितरण हेतु अनुरोध

संदर्भ: लोन एप्लीकेशन नंबर _____

प्रिय महोदय/महोदया,

यह मेरी/हमारी फैसिलिटी के बारे में है जिसे आपने मंज़ूरी दी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लोन की रकम इस तरह से दें:

खाता धारक का नाम:

बैंक का नाम:

खाता संख्या:

खाता प्रकार:

शाखा:

आईएफएससी:

मात्रा:

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि,

1. मैं/हम ऊपर बताए गए डिस्बर्समेंट के लिए ज़िम्मेदार और लायबल होंगे और इसे मेरे साइन किए/स्वीकार किए गए फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत डिस्बर्स किया गया लोन माना जाएगा और यह उन फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों के हिसाब से होगा।
2. ब्याज की गणना फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताए अनुसार की जाएगी।
3. अगर दी गई रकम का इस्तेमाल मैं/हम नहीं भी करते हैं, तो भी मुझे/हमें ब्याज देना होगा।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

सह-उधारकर्ता 1 के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

सह-उधारकर्ता 2 के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

मांग वचन पत्र

मांग पर मैं/हम _____ बिना शर्त **डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** , जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 में है (जिसे आगे " **डीएमआई** " कहा जाएगा), या उनके असाइनियों या उसके उत्तराधिकारियों को मांग पर, INR _____ की राशि, _____% (प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, या एक दर पर जो समय-समय पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई द्वारा असाइन/तय की जा सकती है, साथ में अतिदेय शुल्क, लागत, खर्च और उधारकर्ता(ओं) द्वारा डीएमआई को देय और देय शुल्क का भुगतान करने का वादा करता/करते हूँ।

नीचे साइन करने वाले बिना किसी शर्त के और पक्के तौर पर इस नोट की मांग, प्रेजेंटेशन, नोटिंग और प्रोटेस्ट को माफ करते हैं।

जहां एक से ज़्यादा साइन करने वाले हैं, वहां हर साइन करने वाले की ज़िम्मेदारी दूसरों के साथ जॉइंट और सेवरली होती है। अगर साइन करने वाला किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उस फर्म के बाकी सभी पार्टनर भी जॉइंट और सेवरली ज़िम्मेदार होते हैं।

राजस्व स्टाम्प

उधारकर्ता के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख:

सह-उधारकर्ता 1 के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख:

सह-उधारकर्ता 2 के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख